राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 1307 / 2022 दिनांकः—13 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—माह अप्रैल 2022 में माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप / कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में एन0एस0एस0 योजना से जुडे संचालित महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में डा0 नीता वार्ष्णेय, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 08 जुलाई,2022 एवं 04 अगस्त,2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 — 1505 स0सु0 / 2022—30 स0 सु0 / 2022 दिनांक—15 सितम्बर 2022 एवं पत्र सं0—1474स0सु0 / 2022—30स0सु0 / 2019 दिनांक 08 सितम्बर, 2022 (प्रतियॉं संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि माह अप्रैल 2022 में मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप / कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में एन0एस0एस0 योजना से जुडे संचालित महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के अन्तर्गत एन0एस0एस0 योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या कतिपय जनपदों में बहुत ही कम है। उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि अभी तक जनपद अलीगढ़ में 22 रोड सेफ्टी, एटा में 02, हाथरस में 5 रोड सेफ्टी क्लब एवं कासगंज में 5 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया गया है।

प्रमुख सचिव (परिवहन) उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 24.09.2022 को आयोजित वीडियो कान्फ्रैंसिंग समीक्षा बैठक में प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि रोड सेफ्टी क्लब के संचालन तथा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति क्लब रू0 5000 / — की धनराशि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदान की जानी है। रोड सेफ्टी क्लब के प्रस्तावित कार्यक्रम एवं मासिक गतिविधियों की रूपरेखा इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्त के अनुपालन में मा0 कुलपति जी द्वारा निर्देशित किया है कि समस्त महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन तत्काल कर लिया जाये तथा रोड सेफ्टी क्लब के गठन उपरान्त धनराशि प्राप्त करने हेतु सूचना निम्न प्रारूप पर दिनांक 15.10.2022 की सायं 5 बजे तक समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के Email Id-nssrmpussuniversity@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

V letter

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व मो0नं0	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मो0 नं0	महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था अध्यक्ष का नाम व मो0 नं0	महाविद्यालय का ई–मेल	महाविद्यालय के बैंक का नाम व ब्रांच	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता सं0	बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भवदीय,

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित **को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः**–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. समन्वयक, एन0एस0एस0।
3. संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अलीगढ मण्डल, अलीगढ़
4. गार्ड फाईल।

सहा0 कुलसचिव

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक–378 / प्रवर्तन / रोड सेफ्टी क्लब / 2022 दिनांक–26.09.2022

सेवा में,

कुलपति
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
अलीगढ़।

विषय :– माह अप्रैल 2022 में माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप / कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में एन0एस0एस0 योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय

परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1505स0सु0 / 2022–30स0सु0 / 2022 दिनांक–15 सितम्बर 2022 एवं पत्र संख्या–1474स0सु0 / 2022–30स0सु0 / 2019 दिनांक–08 सितम्बर 2022 (प्रतियाँ संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि माह अप्रैल 2022 में माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप / कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में एन0एस0एस0 योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के अन्तर्गत एन0एस0एस0 योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या कतिपय जनपदों में बहुत ही कम है। उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि जनपद अलीगढ़ में 22 रोड सेफ्टी क्लब, एटा में 02, हाथरस में 5 रोड सेफ्टी क्लब एवं कासगंज में 5 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया गया है।

प्रमुख सचिव (परिवहन) उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक–24.09.2022 को आयोजित वीडियो कान्फ्रैंसिंग समीक्षा बैठक में प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि रोड सेफ्टी क्लब के संचालन तथा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति क्लब रू0 5000 / — की धनराशि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदान की जानी है। रोड सेफ्टी क्लब के प्रस्तावित कार्यक्रम एवं मासिक गतिविधियों की रूपरेखा इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अलीगढ़ मण्डल के जनपदों में अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब के गठन एवं धनराशि प्राप्त करने हेतु सूचना निम्न प्रारूप में प्रेषित करने हेतु भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व मो0न0	महाविद्यालयों के नाम	महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मो0न0	महाविद्यालय के प्राचार्य / संस्थाध्यक्ष का नाम व मो0न0	महाविद्यालय के ई–मेल का पता	महाविद्यालय के बैंक का नाम व ब्रान्च	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता संख्या	बैंक का आई0एफ0एस0 सी0 कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(फरीदउद्दीन)
संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रवर्तन) अलीगढ़।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ।

1– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0) उ0प्र0, लखनऊ।
2– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) आगरा।
3– संभागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़–आगरा परिक्षेत्र।

संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रवर्तन) अलीगढ़।

ई–मेल।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1536 स०सु०/2022–30स०सु०/2019 लखनऊ 21 सितम्बर, 2022

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय– माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में एन०एस०एस० योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन एवं मासिक गतिविधियों की रूपरेखा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के **पत्र संख्या–1474 स०सु०/2022–30स०सु०/2019, दिनांक 08.09.2022 (छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में **एन०एस०एस०** योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लबों के गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संदर्भ में प्रदेश के 755 रोड सेफ्टी क्लबों हेतु 621 महाविद्यालयों का चयन किया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन हैं।

उल्लेखनीय है कि रोड सेफ्टी क्लबों के संचालन तथा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति क्लब रू0 5000/-- की धनराशि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रदान की जानी है। इस हेतु तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा रूपये 5000/– की धनराशि का मदवार विवरण की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इसके साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रम एवं मासिक गतिविधियों की रूपरेखा इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने स्तर से ड्राफ्ट का अवलोकन करते हुये तदनुक्रम में यथावांछित संशोधन के साथ जारी करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय के ई–मेल atcrs-up@nic.inउपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

21.9.2022
(वी0के0सोनकिया)
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0)
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० 1536 (1)स०सु०/2022 –समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. डा० अशोक श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ।

4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रोड सेफ्टी क्लब हेतु चयनित महाविद्यालयों (एन0एस0एस0 योजना से आच्छादित न हो) को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

21.9.2022

(वी0के0सोनकिया)
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0)
उत्तर प्रदेश।

रोड सेफ्टी क्लब, उत्तर प्रदेश।

सड़क सुरक्षा क्लब की उत्तर प्रदेश में स्थापना एवं संचालन के लिए आईसेफ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त, जो शासनादेश दिनांक 30.08.2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 के अंतर्गत राजस्व मद सम्बन्धी तालिका–4 के मद संख्या–9 में "कालेज/स्कूल में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना एवं संचालन" के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 11.01.2020 को इण्डियन रोड सेफ्टी कैम्पेन, SOLVE संस्था द्वारा क्लब की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच की गयी। महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लबों का संचालन परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश व उच्च शिक्षा एन.एस.एस के सहयोग से किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 205 कालेजों में सड़क सुरक्षा क्लब संचालित हैं। प्रत्येक क्लब में कालेज के फैकल्टी कॉडीनेटर अथवा प्रोग्राम ऑफिसर समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। इन क्लबों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की तकनीकि, विधिक, चिकित्सीय, जनसंचार तथा जनजागरुकता के पहलुओं पर कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य–

- विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के प्रति संस्था के चयनित छात्रों को रोड सेफ्टी क्लब में नामित करना।
- नामित रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्कूली छात्रों एवं समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।

गठन–

प्रति क्लब 25 स्वयंसेवी सदस्य होंगे–

(अ) लीडर/अध्यक्ष
(ब) डोमेन हेड/उपाध्यक्ष
(स) एक्जीक्यूटिव/सचिव

एनएसएस की भूमिका–प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से विद्यार्थियों, छात्रों एवं जनमानस को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करना।

परिवहन विभाग से समन्वय–प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्य एवं एनएसएस स्वयंसेवियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा।

लक्षित वर्ग–युवा एवं समुदाय

गतिविधियाँ–

(1) क्विज एवं निबन्ध प्रतियोगिता
(2) 02 स्कूलों एवं संस्था से सम्बन्धित अन्य फैकल्टी के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।
(3) वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता।
(4) मलिन बस्ती एवं अभिग्रहीत गॉवों में रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरुकता

(5) रोड सेफ्टी सेशन एंवं रोड सेफ्टी सर्वे।
(6) पोस्टर प्रतियोगिता
(7) प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम
(8) व्यावहारिक कार्यान्वयन
(9) नुक्कड़ नाटक

उत्कृष्ट क्लबों को सम्मानित किया जाना–

प्रदेश के प्रत्येक जिले के 03 उत्कृष्ट क्लबों को गतिविधियों के आधार पर परिवहन विभाग एवं एनएसएस विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

सड़क सुरक्षा क्लब के अंतर्गत मासिक गतिविधियों की रूप रेखा–

माह सितम्बर–
 रोड सेफ्टी क्लबों के गठन हेतु महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन किया जाना।

माह अक्टूबर–
वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन
रैली का आयोजन।
स्वयं सेवियों के माध्यम से स्लम एरियाज (मलिन बस्ती) एवं अभिग्रहीत ग्रामों में सड़क

माह नवम्बर–
 पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।
 परिवहन विभाग द्वारा नामित संस्था/विशेषज्ञ के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन (फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर)।
चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से शहरों व कैम्पों में सर्वे कार्यक्रम का आयोजन।

माह दिसम्बर–
1.प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत चयनित स्वयं सेवी द्वारा अपने संस्था के आस–पास 01 किमी परिक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण किया जाना–
(क) यातायात चिन्हों का अध्ययन करना।
(ख) मार्गों पर गड्ढों की रिपोर्टिंग।
(ग) रोड मार्किंग गति अवरोधक आदि पर सर्वे करना।
(2) वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता।
(3) मलिन बस्ती एवं अभिग्रहीत गॉवों में रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम।

माह जनवरी–
(1) रोड सेफ्टी सेशन एवं रोड सेफ्टी सर्वे।
(2) पोस्टर प्रतियोगिता
(3) प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम
(4) व्यावहारिक कार्यान्वयन
(5) नुक्कड़ नाटक

Role of Faculty Coordinator/programe officer and its members of R.S. Club Committee

(A) Faculty Coordinator/programe officer

1– विद्यालय में संचालित सडक सुरक्षा से संबधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाना।

2– जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के साथ समन्वय स्थापित करना।

3– क्लब से संबधित रिपोर्ट का प्रेषण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश एवं प्रोग्राम कॉडिनेटर, उच्च शिक्षा, एन.एस.एस।

(B) Leader- (President)

1. एक टीम लीडर को स्नातक के द्वितीय/तृतीय वर्ष का छात्र होना चाहिए। जो रोड सेफ्टी क्लब का प्रमुख होगा।
2. क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाली समस्त सड़क सुरक्षा गतिविधियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
3. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक को रिपोर्ट करना।
4. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा क्लबों की योजना तैयार करना।
5. ग्रुप के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हुए टीम को आगे बढाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(C) Domain -II (Vice President)

डोमेन प्रमुख के रूप में प्री फाईनल वर्ष (द्वितीय वर्ष) के छात्र द्वारा क्लब के अन्तर्गत संचालित निम्न उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। एक रोड सेफ्टी क्लब में 4–5 से डोमेन प्रमुख होगें:–

- क्रियेटिव डोमेन
- लॉजिस्टिक्स डोमेन
- पब्लिसिटी डोमेन

समस्त डोमेन प्रमुख अपने–अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए टीम लीडर (अध्यक्ष) को रिपोर्ट करेगें।

(D) Executive (Secretary)

स्नातक (प्रथम वर्ष) के छात्र की भूमिका सचिव के रूप में कार्य करेगें। एक रोड सेफ्टी क्लब में 08–10 से कार्यकारी सचिव होगें।

1- समस्त कार्यकारी सचिव अपने संबंधित विभाग में डोमेन प्रमुखों की सहायता करेगें।
2- क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों/बैठकों आदि से संबंधित नियमित घोषण संबंधी कार्य करेगें।
3- कार्यक्रमों से संबंधित समस्त कार्यवाही (Paper work assignment) पूर्ण करेंगे।
4- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना।
5- अभिलेखों का अनुश्रवण।
6- पत्र व्यवहार करना।
7- कार्यक्रम का संचालन करना।
8- बैठकों को आहूत कराना।
9- दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना।

SOME ACTIVITIES FOR COLLEGES

CATEGORY OF ACTIVITY	TYPE OF ACTIVITY	ACTIVITY
COMMON ACTIVITIES	SCHOOL VISIT ACTIVITIES	Awareness Session
		Safety Report Card
		Quiz Competition
	On-FIELD ACTIVITY	Practical Implementation
	CAPACITY DEVELOPMENT	Defensive Driving Training
		First Responder Training
	ONLINE ACTIVITIES	Poster Making Competition
		Scribble Story
		Photography Competition
		Photo caption contest
		Live Poll
		Online quiz, Crossword
DOMAIN SPECIFIC ACTIVITIES	AWARENESS ACTIVITIES	Marathon
		Rallys
		Extempore Competition
		Debate Competition
		MUNs
		Stage Play
		Awareness Lecture Session
		Visit to Traffic Parks
		Case Study Challenge
	LAW ACTIVITIES	Legal Aid Camps for Victims
		Law Module formation Know Your Rights
	MEDICAL ACTIVITIES	Medical Research/innovation
		Conduction of FRT Workshops
	MASS MEDIA AND COMMUNICATION ACTIVITIES	Media Research Paper
		Documentary Formulation
		Creative Writing Competition
		Ad Campaign (Print)
		Ad campaign (Electronic)
		Movie Making
		Conference
	TECHNICAL ACTIVITIES	Web and App Development
		Hardware Product Development

प्रस्तावित बजट (रोड सेफ्टी क्लब)

① ₹ 1500/- रोड सेफ्टी क्लब का पट्टा जिससे Branding हो सके। (नमूना upload किया जायेगा Whatsapp groups पर)

② ₹ 800/- दो बैनर हेतु - ① एक रोड सेफ्टी क्लब संस्था के नाम से
② रोड सेफ्टी मानकों को प्रचारित करने हेतु संस्था के महत्वपूर्ण स्थान पर लगाया जायेगा।

③ ₹ 1500/- कार्यक्रमो मे जलपान आदि पर

④ ₹ 1200/- अन्य आकस्मिक व्यय - सर्टीफिकेट पुरस्कार व अन्य

कुल व्यय - 5000/-

09/3/22

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

ई–मेल।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1505 स०सु०/2022–30स०सु०/2022 लखनऊ । 15 सितम्बर, 2022

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश।

विषय– माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गतप्रदेश में 75 जनपदों में एन०एस०एस० योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के **पत्र संख्या–1157स०सु०/2022–30स०सु०/2019 दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)**का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में **एन०एस०एस०** योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 06 माह की अवधि सितम्बर 2022 में ही पूर्ण हो रही है। अतः सभी 75 जनपदों में 755 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन इसी माह में अनिवार्य रूप से किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है किएन.एस.एस योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या कतिपय जनपदों में बहुत ही कम है तथा कतिपय जनपदों में यह संख्या अधिक है। अभी तक केवल 570 महाविद्यालयों का चयन किया गया है, शेष 185 महाविद्यालयों का चयन किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ–साथ सड़क सुरक्षा से संबधित उच्च शिक्षा के पूर्व में नामित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप नये नोडल अधिकारी को भी नामित किया जाना है। **प्रदेश में 75 जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लबों के गठन एवं धनराशि प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रारूप निम्नवत् है–**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालयों के नाम	महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्थाध्यक्ष का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के ई–मेल का पता	महाविद्यालय के बैंक का नाम व ब्रॉच।	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता संख्या	बैंक का आई०एफ०ए स०सी०कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः आपसे अपेक्षित है कि रोड सेफ्टी क्लबों के गठन हेतु प्रदेश के 185 महाविद्यालयों के चयन (जो एन.एस.एस योजना से आच्छादित न हो) की कार्यवाही अपने स्तर से कराते हुए कृत कार्यवाही को निम्न प्रारूप

पर प्रगति आख्या दिनांक 20.09.2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के ई–मेल atcrs-up@nic.inउपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि 755 रोड सेफ्टी क्लबों के 06 माह में गठन की कार्यवाही की प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० 1505(1)स०सु०/2022 –समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च शिक्षा।
4. डा० अशोक श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश।

ई–मेल।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 1505स०सु०/2022–30स०सु०/2022 लखनऊ। 5 सितम्बर, 2022

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश।

विषय– माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गतप्रदेश में 75 जनपदों में एन०एस०एस० योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के **पत्र संख्या–1157स०सु०/2022–30स०सु०/2019 दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)**का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में **एन०एस०एस०** योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 06 माह की अवधि सितम्बर 2022 में ही पूर्ण हो रही है। अतः सभी 75 जनपदों में 755 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन इसी माह में अनिवार्य रूप से किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है किएन.एस.एस योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या कतिपय जनपदों में बहुत ही कम है तथा कतिपय जनपदों में यह संख्या अधिक है। अभी तक केवल 570 महाविद्यालयों का चयन किया गया है, शेष 185 महाविद्यालयों का चयन किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ–साथ सड़क सुरक्षा से संबधित उच्च शिक्षा के पूर्व में नामित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप नये नोडल अधिकारी को भी नामित किया जाना है। **प्रदेश में 75 जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लबों के गठन एवं धनराशि प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रारूप निम्नवत् है–**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालयों के नाम	महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्थाध्यक्ष का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के ई–मेल का पता	महाविद्यालय के बैंक का नाम व ब्रॉच।	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता संख्या	बैंक का आई०एफ०एस०सी०कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः आपसे अपेक्षित है कि रोड सेफ्टी क्लबों के गठन हेतु प्रदेश के 185 महाविद्यालयों के चयन (जो एन.एस.एस योजना से आच्छादित न हो) की कार्यवाही अपने स्तर से कराते हुए कृत कार्यवाही को निम्न प्रारूप

पर प्रगति आख्या दिनांक 20.09.2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के ई–मेल atcrs-up@nic.inउपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि 755 रोड सेफ्टी क्लबों के 06 माह में गठन की कार्यवाही की प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० 1505(1)स०सु०/2022 –समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च शिक्षा।
4. डा० अशोक श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

9/22

अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश।

ई-मेल।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 1575 स०सु०/2022–30स०सु०/2019

लखनऊ 08 सितम्बर, 2022

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी, एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय– माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत **प्रदेश में 75 जनपदों में एन०एस०एस० योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों /उच्च शिक्षण संस्थानों में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–251/सत्तर–रा०से०यो०को०–2022 दिनांक 24 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अप्रैल, 2022 में माननीय मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये 06 माह के रोडमैप/कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में **एन०एस०एस०** योजना से जुड़े संचालित महाविद्यालयों /उच्च शिक्षण संस्थानो में 755 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 06 माह की अवधि सितम्बर 2022 में ही पूर्ण हो रही है। अतः सभी 75 जनपदों में 755 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन इसी माह में अनिवार्य रूप से किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों जैसः– श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट, मुरादाबाद, वाराणसी, एटा एवं झाँसी से सूचना अप्राप्त है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों में एन.एस.एस योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या अत्याधिक कम है जिसके कारण प्रस्तावित लक्ष्य 755 रोड सेफ्टी क्लबों के सापेक्ष 520 हेतु महाविद्यालयों का चयन किया जा चुका है, किन्तु शेष रोड सेफ्टी के गठन हेतु अभी 235 महाविद्यालयों का चयन किया जाना है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिन जनपदों में एन0एस0एस0 योजना से आच्छादित महाविद्यालयों की संख्या अधिक है, उन जनपदों में और महाविद्यालयों की संख्या बढाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से निम्न प्रारूप पर सूचना माह 20 सितम्बर 2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के ई–मेल atcrs-up@nic.in पर शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि 755 रोड सेफ्टी क्लबो के गठन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रदेश में 75 जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लबों के गठन एवं धनराशि प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रारूप।

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रोग्राम कॉडिनेटर का नाम व मो०न०	नोडल अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालयों के नाम।	महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्थाध्यक्ष का नाम व मो०न०	महाविद्यालय के ई–मेल का पता	महाविद्यालय के बैंक का नाम व ब्रॉच।	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता संख्या।	बैंक का आई०एफ०एस० सी०कोड।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भवदीय,

(वी०के०सोनकिया) 7/9/22
अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा),
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० 1477(1)स०सु०/2022 –समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
5. डा० अशोक श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

(वी०के०सोनकिया) 7/9/22

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा),

उत्तर प्रदेश।

755 रोड सेफ्टी क्लबों की अद्यतन प्रगति

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल NSS कॉलेज की संख्या	205 रोड सेफ्टी क्लबों की संख्या	नवीन रोड सेफ्टी क्लबों की संख्या	कुल रोड सेफ्टी क्लबों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	54	18	5	23
2	उन्नाव	3		4	4
3	रायबरेली	7		3	3
4	हरदोई	9		3	3
5	लखीमपुर खीरी	3		3	3
6	सीतापुर	3		3	3
1	**लखनऊ सम्भाग**	79	18	21	39
7	अयोध्या	32	4	4	8
8	अम्बेडकरनगर			9	9
9	अमेठी	11		8	8
10	बाराबंकी	13		1	1
11	सुल्तानपुर	41		10	10
2	**अयोध्या सम्भाग**	97	4	32	36
12	गोंडा	23		4	4
13	बलरामपुर	1			0
14	बहराइच	12		1	1
15	श्रावस्ती	3			0
3	**गोंडा सम्भाग**	39	0	5	5
16	बस्ती	9	9		9
17	सिद्धार्थनगर	3			0
18	संतकबीरनगर	10			0
4	**बस्ती सम्भाग**	22	9	0	9
1-	लखनऊ परिक्षेत्र	237	31	58	89
19	कानपुर नगर	19	4	0	4
20	कानपुर देहात	4		0	0
21	औरैया	3		2	2
22	इटावा	4		5	5
23	फर्रुखाबाद	4			0
24	कन्नौज	3		4	4
1	**कानपुर सम्भाग**	37	4	11	15
25	प्रयागराज	28	11		11
26	प्रतापगढ़	42		10	10
27	फतेहपुर	12			0
28	कौशाम्बी	6		6	6
2	**प्रयागराज सम्भाग**	88	11	16	27
29	बाँदा	8	1	3	4
30	हमीरपुर	11		4	4
31	महोबा	6			0
32	चित्रकूट	4	1		1
3	**चित्रकूट सम्भाग**	29	2	7	9
2-	कानपुर परिक्षेत्र	154	17	34	51
33	वाराणसी	18	19		19
34	चंदौली	9		2	2
35	जौनपुर	113		10	10
36	गाजीपुर	104		10	10
1	**वाराणसी सम्भाग**	244	19	22	41
37	आजमगढ़	95	10		10
38	मऊ	74		10	10
39	बलिया			10	10
2	**आजमगढ़ सम्भाग**	169	10	20	30
40	गोरखपुर	70	14		14
41	महाराजगंज	19		10	10
42	देवरिया	53		10	10
43	कुशीनगर	18		9	9
3	**गोरखपुर सम्भाग**	160	14	29	43
44	मिर्जापुर	9	8		8
45	सोनभद्र	7		2	2

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल NSS कोलेज की संख्या	205 रोड सेफ्टी क्लबों की संख्या	[illegible] रोड सेफ्टी [illegible] की संख्या	कुल रोड सेफ्टी क्लबों की संख्या
1	2	3	4	5	6
47	बरेली	29	7		7
48	बदायूँ	15		10	10
49	पीलीभीत	8		6	6
50	शाहजहांपुर	8			0
1	**बरेली सम्भाग**	60	7	16	23
51	मुरादाबाद	19	18		18
52	अमरोहा	20		2	2
53	बिजनौर	25		10	10
54	रामपुर	8		10	10
55	संभल	12		10	10
2	**मुरादाबाद सम्भाग**	84	18	32	50
4-	**बरेली परिक्षेत्र**	144	25	48	73
56	मेरठ	22	11	4	15
57	बागपत	13		11	11
1	**मेरठ सम्भाग**	35	11	15	26
58	गाज़ियाबाद	10	10	1	11
59	गौतमबुद्धनगर	6	10		10
60	हापुड	3		4	4
61	बुलंदशहर	24		11	11
2	**गाज़ियाबाद सम्भाग**	43	20	16	36
62	सहारनपुर	14	5	6	11
63	मुजफ्फरनगर	13		10	10
64	शामली	6		4	4
3	**सहारनपुर सम्भाग**	33	5	20	25
5-	**मेरठ परिक्षेत्र**	111	36	51	87
65	आगरा	21	10		10
66	फिरोजाबाद	14		10	10
67	मैनपुरी	7		8	8
68	मथुरा	7		5	5
1	**आगरा सम्भाग**	49	10	23	33
69	अलीगढ़	13	22		22
70	एटा	11			0
71	हाथरस	7		5	5
72	कासगंज	4		1	1
2	**अलीगढ़ सम्भाग**	35	22	6	28
73	झाँसी	22	11		11
74	जालौन	18		10	10
75	ललितपुर	10		10	10
3	**झाँसी सम्भाग**	50	11	20	31
6-	**आगरा परिक्षेत्र**	134	43	49	92
	TOTAL	**1373**	203	315	**518**